

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग- राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) - जून 2015 के माध्यम से राजभाषा अधिकारियों की भर्ती



ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी), सार्वजनिक क्षेत्र का एक महारत्न उद्यम है और भारत तथा विदेश में तेल एवं गैस के अन्वेषण तथा उत्पादन में नियोजित भारत की प्रमुख ऊर्जा कंपनी है। ऊर्जा के क्षेत्र में पूरे विश्व में कार्यरत ओएनजीसी देश के घरेलू तेल एवं गैस उत्पादन में लगभग 65 प्रतिशत का योगदान देती है। वर्तमान में, ओएनजीसी अपनी सहायक कंपनी ओएनजीसी विदेश के माध्यम से 17 देशों में 10 विलियन अमरीकी डॉलर से अधिक विदेशी पैंजी निवेश सहित भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कॉरपोरेशन है।

ओएनजीसी जो कुल पारिश्रमिक देती है कम्पनी की लागत (सीटीसी) के दृष्टिकोण से, देश की सर्वेष्ट पारिश्रमिकों में से एक है। पेशाकृशल प्रबंधन के साथ विकास उन्मुख इस संगठन में प्रतिभा के आधार पर पदान्वित के भी पर्याप्त अवसर हैं।

ओएनजीसी उच्चरूप शैक्षणिक रिकार्ड वाले होनहार एवं कर्मचर युवा उमीदवारों को राजभाषा अधिकारी शाखा में श्रेणी ई-1 के रूप में संगठन में शामिल करने को इच्छुक है।

चुने गये प्रतिभागीयों को ₹24,900–50,500/- – वेतनमान तथा 3% वार्षिक वृद्धि पर नियुक्त किया जाएगा। कर्मचारी को सुरक्षा योजना से संबंधित कंपनी नियमों के अनुसार मूल वेतन के अतिरिक्त कैफेटेरिया प्रस्ताव के अन्तर्गत मूल वेतन का 47%, मैंगाई भत्ता, एच.आर.ए./कम्पनी आवास, खनन भत्ता, अंशदाई भविष्य निधि, वाहन अनुकूल भत्ता, पर्याप्त कार्य प्रदर्शन सम्बन्धित भुगतान (पी.आर.पी.) भत्तों तथा दूसरी सुविधाओं जैसे स्वयं तथा अपने आश्रितों के लिए चिकित्सा सुविधा, उपदान (ग्रेव्यटी), सेवानिवृत्ति उपरान्त लाभ योजना तथा समग्र सामाजिक सुरक्षा योजना का जो कि पात्र होगा।

1. पदों का विवरण

क्र. सं.	पदनाम तथा स्तर	पदों की संख्या					पी.डब्ल्यू.डी. हेतु निर्धारित पद
		अनारक्षित	ओबीसी	एससी	एसटी	कुल	
1.	राजभाषा अधिकारी-ई-1 स्तर पर	9	3	1	0	13*	ओए, ओएल, बीएल, बी.एलवी, एचएच

पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षण: *वीएच (एलवी (लो विजन), बी (अंधा) के लिए दो पद आरक्षित

संक्षिप्त नाम के प्रयोग: बी = अंधा, एलवी= लो विजन, ओए = एक बाजू, ओएल = एक टांग, बीएल = दोनों टांग, वीएच= दृष्टि विकलांग, एचएच= बधिर, ओएच= अस्थिविकलांग।

2. न्यूनतम योग्यता मानदंड

अध्यार्थियों की श्रेणी	01.01.2015 को अधिकतम आयु सीमा	आवश्यक योग्यता
सामान्य, एसटी	30 वर्ष	"न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ हिन्दी में स्नातोकोत्तर। स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में अंग्रेजी होना अनिवार्य। अंग्रेजी में अनुवाद कार्य के अनुभव को वरीयता।"
एससी	35 वर्ष	
ओबीसी	33 वर्ष	
शारीरिक अक्षमता वाले व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी)	40 वर्ष (ओबीसी के लिए 3 वर्ष तथा एससी के लिए 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट)	
विभागीय अध्यर्थी	ओएनजीसी में उनकी सेवा देने की सीमा तक	
पूर्व-कर्मचारी (सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी)	35 वर्ष (अधिसूचना सं. 39016 / 10 / 79-स्थापना (सी) दिनांक 15.12.1979, 36034 / 1 / 2006-स्थापना (रजि) दिनांक 04.10.2012, ओएम. 36034 / 2 / 2013-स्थापना (रजि) दिनांक 08.04.2013)	सभी श्रेणियों के लिए।

टिप्पणी :

अ. संस्थानों/विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित पूर्णकालिक पाठ्यक्रम केन्द्र सरकार के अन्तर्गत आने वाले पदों तथा सेवाओं में रोजगार हेतु अपेक्षित संविधानिक नियमों जैसे भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.)/यूजी.सी.ए.आई.टी.ई.आदि से अनुमोदित/मान्यता प्राप्त होने चाहिए। प्रतिभागी जिन्होंने अपनी योग्यता दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम/अशक्तालिक माध्यमों द्वारा प्राप्त की है, भी आवेदन करने योग्य हैं बशर्ते उनकी योग्यता केन्द्रीय सरकार के पदों के रोजगार तथा सेवा हेतु अनिवार्य वैधानिक निकायों द्वारा मान्य हों।

ब. जहां कहीं भी डिग्री में सीजीपीए/ओजीपीए/सीजीपीए या लेटर ग्रेड प्रदान की गई है, वहाँ अंकों का समान प्रतिशत आवेदन पत्र में दर्शाया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय/संस्था के नियमों के अनुसार अहंता डिग्री अंकों के प्रतिशत की गणना विश्वविद्यालय/संस्था के नियमों के अनुसार होनी चाहिए। कृपया विश्वविद्यालय/संस्था से इस प्रभाव के लिए साक्षात्कार के समय जमा करने के लिए एक प्रमाणपत्र भी प्राप्त करें।

स. अहंता पाठ्यक्रम के अन्तिम सेमेस्टर के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, उनको साक्षात्कार की तिथि को न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ अंक पत्र तथा पाठ्यक्रम पूर्ण करने का प्रमाणपत्र देने में सक्षम अवश्य होना चाहिए।

द. यूजीसी-नेट के लिए जारी अधिसूचना के अनुसार, कनिष्ठ शोध अध्ययनावृत्ति (जेआरएफ) के लिए अधिकतम अनुमत आयु नियत 28 वर्ष (01.06.2015 को) है, जबकि साधारण प्रोफेसरी के लिए काई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। ओएनजीसी में राजभाषा अधिकारी की इस भर्ती के लिए अधिकतम अनुमत आयु उपरोक्त पैरा 2 के अनुसार रखी गई है। उपरोक्त दृष्टिकोण के अनुसार 01.06.2015 को 28 वर्ष से अधिक आयु वाले अध्यार्थियों को यूजीसी-नेट आवेदन भरते समय 'साहायक प्रोफेसर' के लिए अवश्य आवेदन करना चाहिए।

य. ओबीसी श्रेणी के अन्तर्गत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए जाति तथा समुदाय का नाम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीपी), भारत सरकार की वेबसाइट www.ncbi.nic.in पर उपलब्ध 'अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची' में अवश्य होना चाहिए। अध्यर्थी क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं होना चाहिए। ओबीसी के रूप में आरक्षण वाले अध्यार्थियों को साक्षात्कार के समय भारत सरकार के अन्तर्गत पदों की नियुक्ति के आशय वाले ही हिन्दी निर्धारित प्रारूप में अध्यर्थी की जाति, अधिनियम/आदेश जिसके अन्तर्गत जाति को ओबीसी के रूप में मान्यता दी गई है, और जिस गाँव/कर्बड़ी का अध्यर्थी साधारणतया निवासी है को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए नामित अधिकारी से जाति प्रमाणपत्र जमा करना होगा।

र. सरकारी उपक्रमों में रोजगार के लिए ओबीसी/एससी के लिए जाति प्रमाणपत्र का निर्धारित प्रारूप www.ongcindia.com से डाउनलोड किया जा सकता है।

ल. ओबीसी अध्यर्थियों को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास नामित अधिकारी द्वारा समय समय पर जारी किया गया गैर-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र हो। प्रमाणपत्र में जाति के नाम के किसी प्रकार की विभिन्नता स्वीकार्य नहीं होगी।

व. एससी के लिए छूट लेने वाले उमीदवारों को अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी भारत सरकार के पदों पर नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रारूप में ही जाती प्रमाण पत्र देने होंगे जिसमें उमीदवार की जाति को एससी घोषित करने वाले कानून/आदेश और गाँव/शहर जहां उमीदवार मूलतः रहता है का स्पष्ट उल्लेख होगा।

स. एसटी के लिए कोई पद आरक्षित नहीं है, हालांकि, एसटी श्रेणी के अध्यर्थी अनारक्षित पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

3. चयन प्रक्रिया:

3.1 उपरोक्त पैरा 2 के अनुसार ओएनजीसी की आयु तथा न्यूनतम योग्यता मानदंडों को पूरा करने वाले पात्र अध्यर्थियों को जून 2015 में आयोजित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (यूजीसी-नेट) की हिन्दी विषय (विषय कोड 20) परीक्षा देना आवश्यक होगा।

3.2 अध्यर्थियों को जून 2015 की यूजीसी-नेट परीक्षा में हिन्दी विषय (विषय कोड 20) यूजीसी-नेट द्वारा निर्धारित कट-ऑफ अंकों के अनुसार आवश्यक रूप से अहंता प्राप्त करनी होगी। इस प्रज्ञापन के तहत की जो राहीं इस भर्ती के लिए केवल जून 2015 की यूजीसी-नेट परीक्षा के अंक ही मान्य होंगे। किसी पूर्व यूजीसी-नेट परीक्षा के अंक मान्य नहीं हैं।

3.3 उपरोक्त के अनुसार यूजीसी-नेट द्वारा अहंता घोषित अध्यर्थियों का ही चयन ओएनजीसी प्रबंधन द्वारा निश्चित किए गए मानदंडों के अनुसार आगे की चयन प्रक्रिया के लिए किया जाएगा, यदि वे आयु अहंता आदि के संबंध में योग्यता मानदंडों को पूरा करते हैं।

- 3.4 अन्तिम चयन अध्यर्थियों द्वारा यूजीसी-नेट परीक्षा में प्राप्त किए अंकों, शैक्षिक अर्हता (अतिरिक्त समान उच्चतर अर्हता सहित) तथा व्यक्तिगत साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर होगा।
- 3.5 विभागीय उमीदवारों को चयन के विषय में प्रथम विचारण दिया जाएगा, जबकि अन्य चीजें, जैसे, अर्हता, योग्यता तथा चयन मानदंड आदि समान रहेंगे।
4. आवेदन कैसे करें:
- 4.1 आवेदन दो चरणों में होगी i) जून 2015 में आयोजित होने वाली यूजीसी-नेट परीक्षा के लिए ऑन-लाइन पंजीकरण ii) यूजीसी-नेट पंजीकरण/अनुक्रमांक के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन जो कि www.ongcindia.com पर उपलब्ध है।
- 4.2 अध्यर्थियों को पहले यूजीसी-नेट परीक्षा के लिए अपने आवेदन ऑन-लाइन जमा करने आवश्यक हैं। अनुगमी चरण परीक्षा के लिए सूचना पुरिता को नियत है।
- 4.3 यूजीसी-नेट परीक्षा की विस्तृत जानकारी ऑनलाइन आवेदन के लिए इच्छुक अध्यर्थी <a href="http://cbsonet.n